उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित योजनाऐं

भू0पू0 सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट देना

भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवा द्वारा अपने पुनर्वास (स्वरोजगार) हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर निम्न प्रकार छूट प्रदान की जाती है :– (दरें दिनांक 19 जुलाई 2019 से संशोधित)

(क) रू0 5.00 लाख तक के ऋण पर ऋण के 10 प्रतिशत तथा रू0 5,00,001/– से रू0 10,00,000/– तक के ऋण पर ऋण के 5 प्रतिशत की छूट देय।

(ख) रू0 10.00 लाख से अधिक ऋण लिये जाने वाले प्रकरणों पर केवल रू0 10.00 लाख ऋण मानते हुये ऋण पर उक्त प्रस्तावित योजना के प्रस्तर–क के अनुसार छूट दी जायेगी।

(ग) पूर्व सैनिक द्वारा अपने पुत्र/पुत्री (अधिकतक दो बच्चों हेतु) हेतु तकनीकी शिक्षा के लिये बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर भी उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली छूट प्रदान की जायेगी।

अर्हताऐं

(1) ऋण प्राप्त करने की तिथि के छः माह के बाद प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

(2) प्रार्थना पत्र ऋण अदायगी की प्रथम किश्त की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(3) प्रार्थना पत्र के साथ ''नान इम्प्लायमेन्ट सर्टिफिकेट'', उपभोग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति, यदि वाहन क्रय किया गया हो तो वाहन के निबन्धन सर्टिफिकेट की छायाप्रति (वाहन का टैक्सी में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है), इन्श्योरेन्स की छायाप्रति, पूर्व सैनिक/विधवा का बैंक खाते का विवरण संलग्न करना आवश्यक है। सभी प्रपत्र सत्यापित होना अनिवार्य है।

(4) कैश क्रेडिट लोन पर छूट देना अनुमन्य नहीं है। केवल टर्म लोन पर ही छूट अनुमन्य होगी।